

बिहार सरकार  
विधि विभाग

ज्ञाप सं०-बी०/स्था०-22-2/2009...../जे०, पटना, दिनांक .....

॥ अधिसूचना ॥

विधि विभागीय अधिसूचना सं०-1707 जे० दिनांक-01.04.2010 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत विभागीय अपीलीय प्राधिकार के रूप में अधिसूचित श्री ओम प्रकाश सिन्हा, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी के दिनांक-31.03.2012 को सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप उनके प्रतिस्थानी के पदभार ग्रहण की अवधि तक के लिए श्री सिन्हा द्वारा सम्पादित किये जा रहे अपीलीय प्राधिकार संबंधी कार्यों का निष्पादन किये जाने हेतु श्री अखिलेश कुमार जैन, विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग को दिनांक-01.04.2012 के प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश दिनांक-01.04.2012 से प्रभावी होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,  
ह०/-विनोद कुमार सिन्हा  
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञापांक ...../जे०, पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:-उप सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ विधि विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-विनोद कुमार सिन्हा  
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञापांक ...../जे०, पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-विनोद कुमार सिन्हा  
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञापांक .....2582...../जे०, पटना, दिनांक .....30/03/12.....

प्रतिलिपि:-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/महानिदेशक, प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ, पटना/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिन्हा)

सरकार के सचिव, बिहार ।

30/03/12